

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73]

भोपाल, रविवार, दिनांक 17 फरवरी 2013—माघ 28, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2013

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-203.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-1867, दिनांक 1 नवम्बर 2009 में अंशतः संशोधन करते हुए और मध्यप्रदेश शासन के कार्य (आवंटन) नियम के नियम 4 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, निम्नलिखित राज्यमंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय सौंपते हैं :—

स.क्र. (1)	मंत्री का नाम (2)	सौंपे गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय (3)
1.	श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री.	आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2013

क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-204.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 3-34-2008-एक (1)-203, दिनांक 17 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 17th February 2013

No. F. A. 3-34-2008-One (I)-203.—In partial modification of this department's Notification No. F. A. 3-34-2008-One (I)-1867, dated 1st November 2009 and in pursuance of Rule 4 of the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to assign to the charge of the following State Minister, the Department(s) and / or the item(s) of business in the department(s) shown against his name:—

S. No. (1)	Name of Minister (2)	Department(s) and / or item(s) of business in the department(s) assigned (3)
1.	Shri Hari Shankar Khatik Minister of State.	Tribal Welfare, Scheduled Caste Welfare, Denotified, Nomadic and semi-Nomadic Tribe Welfare.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. PARASURAM, Chief Secy.